HIGH COURT OF MADHYA PRADESH

PRINCIPAL SEAT – JABALPUR

No. Reg(IT)(SA)/2020/601 Jabalpur, Dated:-02/05/2020

:: MEMO ::

To,

The District and Sessions Judge,
All the District and Sessions Courts in the State of M.P.
District - __________

Sub: **Instructions regarding to follow social distancing and use of video conferencing.**

As directed, under the subject cited above, it is to inform that in view of current epidemic COVID 19 social distancing and use of video conferencing for court proceeding is need of hour. In this regard, through various circulars / memos directions and guidelines were issued by the High Court for hearing of urgent cases through video conferencing.

In this regard, it is to inform that some District Courts are doing good work by following directions and guidelines of the High Court for hearing of urgent cases through video conferencing in current epidemic COVID 19. In order to maintain uniformity and parity, the model of District and Sessions Court, Bhopal may be adopted as far as possible.

The detailed presentation of District and Sessions Court, Bhopal in this regard is hereby enclosed in **pdf format** for kind perusal and information.

2/5/2020

REGISTRAR GENERAL

Encl: As above

Scanned with

WELCOME TO
DISTRICT COURT BHOPAL

लॉक डाउन अवधि में अर्जेंट मामलों की सुनवाई हेतु

भोपाल न्यायालय

की

कार्य व्यवस्था

Orders of Hon. High Court

- माननीय उच्च न्यायालय, जबलपुर म0प्र0 CIRCULAR No. Q-5 Jabalpur, Date 25/03/2020 COVID-19- Nation wide lock down- further directions of Hon'ble the Chief Justice. Ref:-Order No. Q-1 & Q-2 dated 22/03/2020 and Order No. Q-3 & Q-4 dated 23/03/2020 issued by the High Court of Madhya Pradesh, Jabalpur. and CIRCULAR No.Q-6 Jabalpur, Date 14/04/2020 Extension of operation of Circular No. Q-5 dated 25/03/2020 due to extension of Nationwide lockdown announded on 14/04/2020 Ref:- Order No. Q-5 dated 25/03/2020 issued by the High Court of Madhya Pradesh, Jabalpur.

Arrangement For the Working of Courts For Hearing of Urgent Matters During Lock Down Period.

Orders Issued by District & Sessions Judge, Bhopal.

- माननीय उच्च न्यायालय के परिपत्रों के अनुक्रम में कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश परिपत्र क्रं. : क्यू–5, भोपाल दिनांक–25–03–2020, परिपत्र क्रं. : क्यू–36, भोपाल दिनांक– 14–04–2020 एवं परिपत्र क्रं. : क्यू–45 भोपाल दिनांक–18–04–2020 के साथ–साथ समय–समय पर परिपत्र जारी किये गये।
- अर्जेन्ट हेयरिंग हेतु उच्चतर न्यायिक सेवा एवं राज्य न्यायिक सेवा के एक–एक अधिकारी की ड्यूटी लगाई गई। अर्जेन्ट मामलों की सुनवाई दोपहर 01:00 से 02:00 बजे तक की जाती है।
- कार्यालय द्वारा समय–समय पर जारी परिपत्र/आदेश जिला न्यायालय की वेबसाईट https://districts.ecourts.gov.in/bhopal एवं माननीय म0प्र0 उच्च न्यायालय की वेबसाईट htps://www.mphc.gov.inपर अपलोड किये गये हैं और सभी परिपत्र/आदेश न्यायिक अधिकारियों को E-Mail से प्रेषित् किये गये हैं।

ONLINE PERMISSION REQUEST FORMAT FOR ADVOCATES

- अधिवक्ता का नाम
- अधिवक्ता का रजिस्ट्रेशन नंबर
- अधिवक्ता का मोबाइल नंबर
- अधिवक्ता का **E-MAIL**
- पक्षकार का नाम
- पिता/पति का नाम
- अर्जेंट मामला जिसमे सुनवाई होनी है**,** प्रकरण क्रमांक
- अपराध क्रमांक आरक्षी केंद्र का नाम
- न्यायालय का नाम/पीठासीन अधिकारी का नाम
- उपस्थित होने की दिनांक
- स्थान : भोपाल/बैरसिया
- **1.**केस डायरी आना है या न्यायालय का रिकॉर्ड
- **2.**जमानत आवेदन कौन–सा है : प्रथम, द्वितीय, तृतीय.........
- **3.**जमानत आवेदन का आधार क्या है ? यदि बीमारी तो बीमारी का नाम।
- **4.**सुपुर्दनामा आवेदन किस संपत्ति का है, क्या संपत्ति क्षयशीण और शीघ्र नष्ट योग्य है ?
- घर से या ऑफिस से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करना चाहते हैं ?

अधिवक्तागण/पक्षकार को इस प्रोफॉर्मा पर

E-Mail I.D.:-dcourtbho@nic.in पर जानकारी भेजकर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, भोपाल से अर्जेंट सुनवाई हेतु अनुमति प्राप्त करनी होती है।

अधिवक्तागण द्वारा जानकारी भरकर जिला न्यायालय के अधिकृत
E-Mail ID dcourtbho@nic.in पर भेजी जाती है ।

अधिवक्ता का नाम	अधिवक्ता का रजिस्ट्रेशन नंबर	अधिवक्ता का मोबाइल नंबर	अधिवक्ता का E-MAIL	पक्षकार का नाम	पिता/ पति का नाम	अर्जेंट मामला जिसमे सुनवाई होनी है, प्रकरण क्रमांक	अपराध क्रमांक आरक्षी केंद्र का नाम	न्यायालय का नाम/पीठासीन अधिकारी का नाम	उपस्थित होने की दिनांक	स्थान	1.केस डायरी आना है या न्यायालय का रिकॉर्ड 2.जमानत/सुपुर्दनामा आवेदन कौन सा है,जैसे फर्स्ट,सेकंड,थर्ड, 3.जमानत आवेदन का आधार क्या	क्या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा घर से सुनवाई करना चाहते हैं	PERMISSION	
1	NADEEM KHA/ SIRAJ ANWAR	7109/19/2640/2000	NAME JAGDESH	OMPRAKASH		259/19/ HABIBGANJ				6/4/2020	BHOPAL	PERMISSION FOR ARGUMENT ON SUPURNAMA		ADVOCATENADEEM121@GMAIL.COM;
2	SIRAJ ANWAR/NADEEM KHAN	2640/2000/7109/19	RAKESH RAJPUT	KISHN RAJPUT		916/18/ HABIBGANJ	PUSHPAK PATHAK			6/4/2020	BHOPAL	PERMISSION FOR BAIL APPLICATION ARGUMENT		sirajanwar87700@gm
3	SIRAJ ANWAR/NADEEM KHAN	2640/2000/7109/20	Raja@arbaz	WALI MOHD	RCT-2445/20		PUSHPK PATHK			6/4/2020	BHOPAL	PERMISSION FOR BAIL APPLICATION ARGUMENT		sirajanwar87700@gm
4	SIRAJ ANWAR/NADEEM KHAN	2640/2000/7109/21	FARHAN	IQBAL	RT.3725/20		PUSHPK PATHK	6/4/2020	BHOPAL	PERMISSION FOR BAIL APPLICATION ARGUMENT				sirajanwar87700@g

अधिकृत ई–मेल आई0डी0 पर जानकारी प्राप्त होने पर सिस्टम आफिसर द्वारा उसे जिला न्यायाधीश के समक्ष रखा जाता है और जिला न्यायाधीश द्वारा स्कूटनी कर केवल अर्जेन्ट मामलों की सुनवाई हेतु निम्नांकित प्रोफॉर्मे में अनुमति दी जाती है ।

अधिवक्ता की प्रवेश हेतु सूची (रिमांड कोर्ट का समय 1 TO 2 P.M)

OFFICE OF THE DISTRICT AND SESSION JUDGE, BHOPAL

DATE :26-04-2020 PERMISSION YES =20 AND NO = 12 REMARK = एक प्रकरण मे केवल एक अधिवक्ता को ही प्रवेश की अनुमति दी जाएगी

S.NO	अधिवक्ता का नाम	अधिवक्ता का रजिस्ट्रेशन नंबर	अधिवक्ता का मोबाइल नंबर	अधिवक्ता का E-MAIL	पक्षकार का नाम	पिता/पति का नाम	अर्जेंट मामला जिसमे सुनवाई होनी है, प्रकरण क्रमांक	अपराध क्रमांक आरक्षी केंद्र का नाम	न्यायालय का नाम/पीठासीन अधिकारी का नाम	उपस्थित होने की दिनांक	स्थान	1.केस डायरी आना है या न्यायालय का रिकॉर्ड 2.जमानत/सुपुर्दनामा आवेदन कौन सा है,जैसे फर्स्ट,सेकंड,थर्ड, 3.जमानत आवेदन का आधार क्या	क्या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा घर से सुनवाई करना चाहते हैं	PERMISSION
1	संजय सिंह	1711/94	834930912 89827431246	sanjaypleader@gmail.com	गणेश प्रजापति	स्व. श्री चुन्नीलाल प्रजापति	तीन पहिया लोडिंग ऑटो जब्त अन्तर्गत धारा 188 सी.आर. पी.सी.	थाना शाहपुरा, भोपाल	श्रीमती निधि श्रीवास्तव	26.04.2020	BHOPAL	सुपुर्दनामा, प्रथम आवेदन मेरे पक्ष कार को खाद्य सामग्री वितरण करने हेतु वाहन चलाने हेतु लाइसेंस प्रदान किया गया था लेकिन इसके बावजूद भी थाना शाहपुरा द्वारा धारा 188 के अंतर्गत वाहन जप्त कर थाने में बंद कर दिया गया है अतः आपसे निवेदन है कि वाहन की सुपुर्दगी के संबंध में मुझे आगामी दिनांक 26-4-2020 तिथि प्रदान करने की कृपा करें।	हां	NO

Ristricted Entry In Court Campus

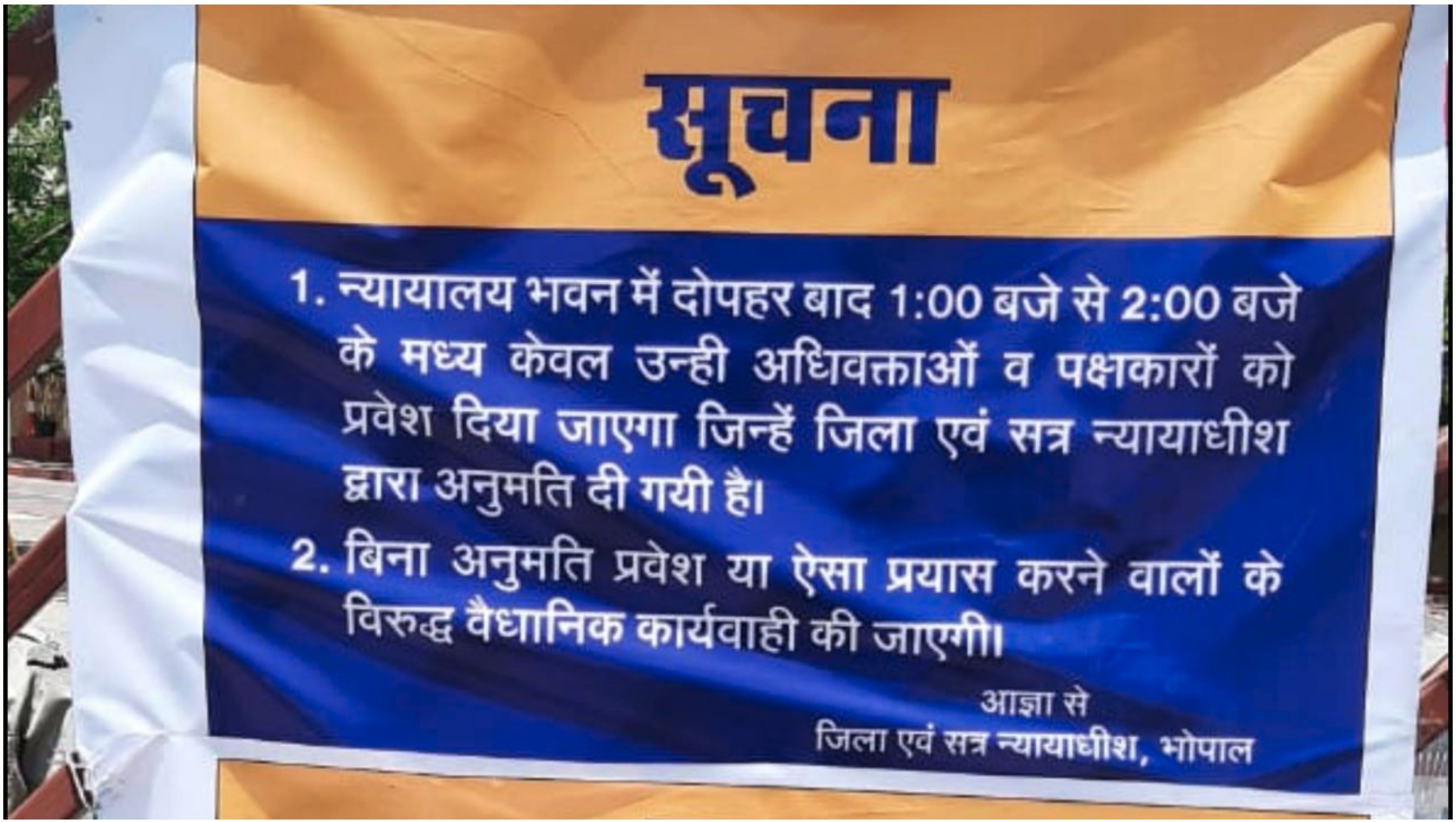

मुख्य प्रवेश द्वारा पर अधिवक्ता/पक्षकार को जिला न्यायाधीश से अनुमति प्राप्त है अथवा नहीं, यह देखकर ही उन्हें जिला न्यायालय परिसर के अंदर प्रवेश दिया जाता है।

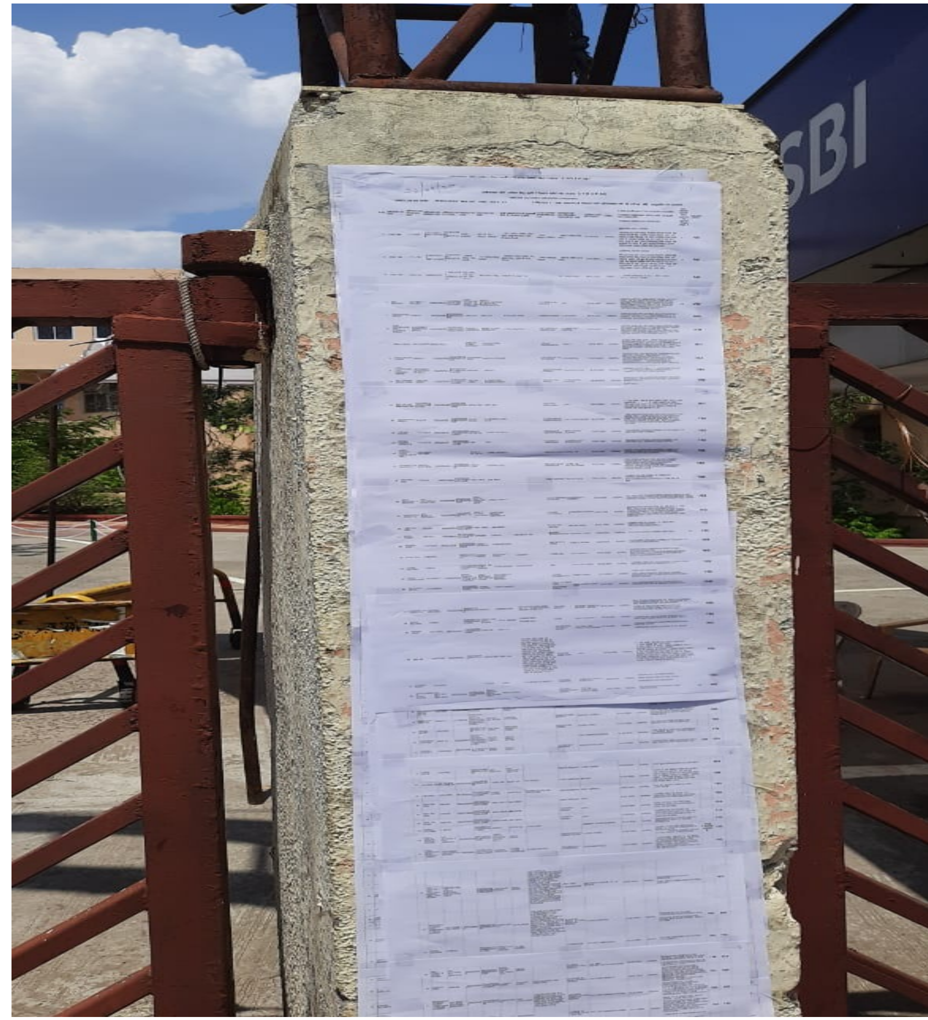

मुख्य प्रवेश द्वार पर जिला न्यायाधीश द्वारा जारी सूची से सत्यापित करके ही अनुमति प्राप्त अधिवक्ता/पक्षकार/आने वालों को न्यायालय परिसर में प्रवेश दिया जाता है।

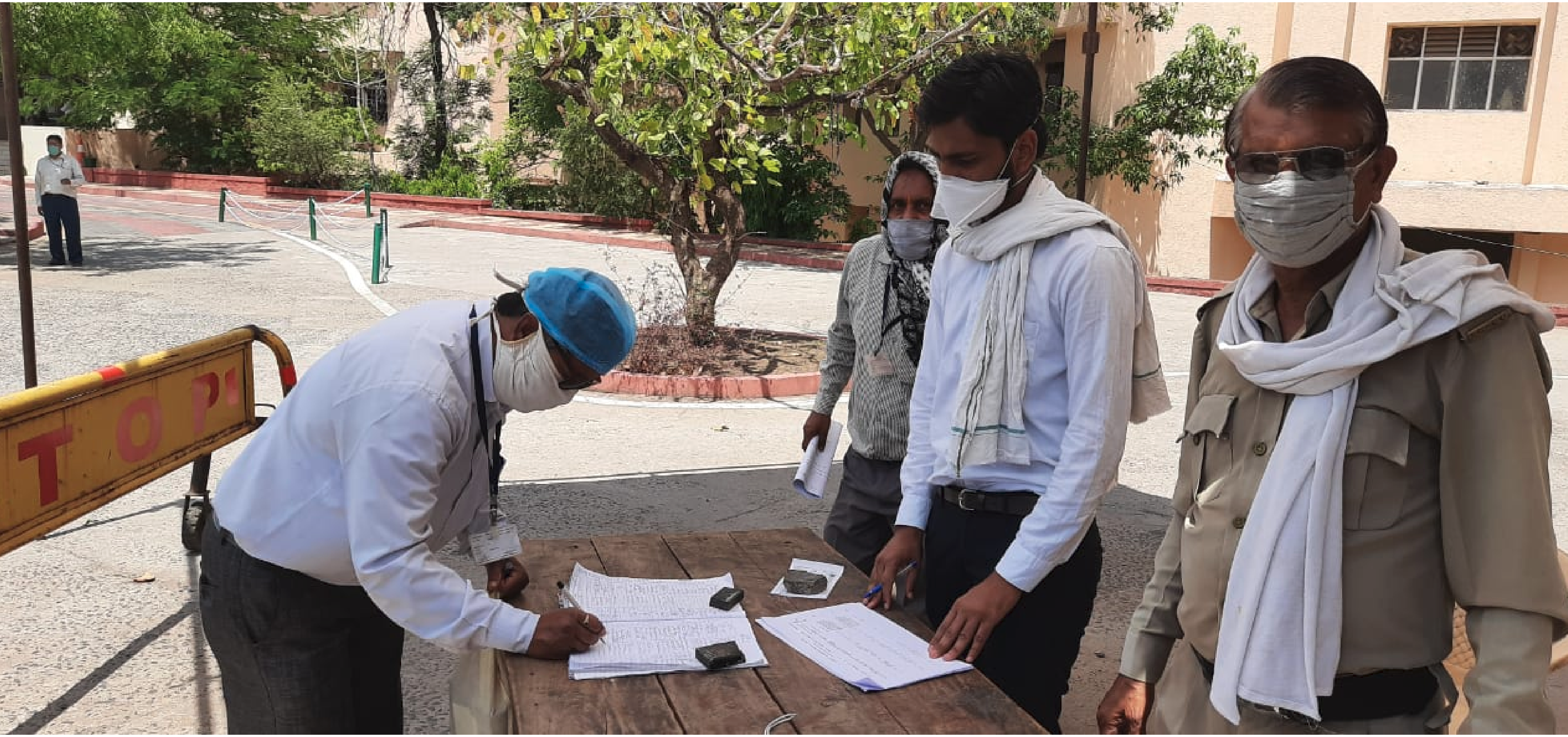

न्यायालय भवन में प्रवेश करने वालों के हाथों को सेनेटाईज़ करने के बाद ही भवन में प्रवेश दिया जाता है, बिना मॉस्क लगाये व्यक्तियों को प्रवेश की अनुमति नहीं है। प्रवेश करने वालों की थर्मल स्क्रीनिंग भी की जाती है।

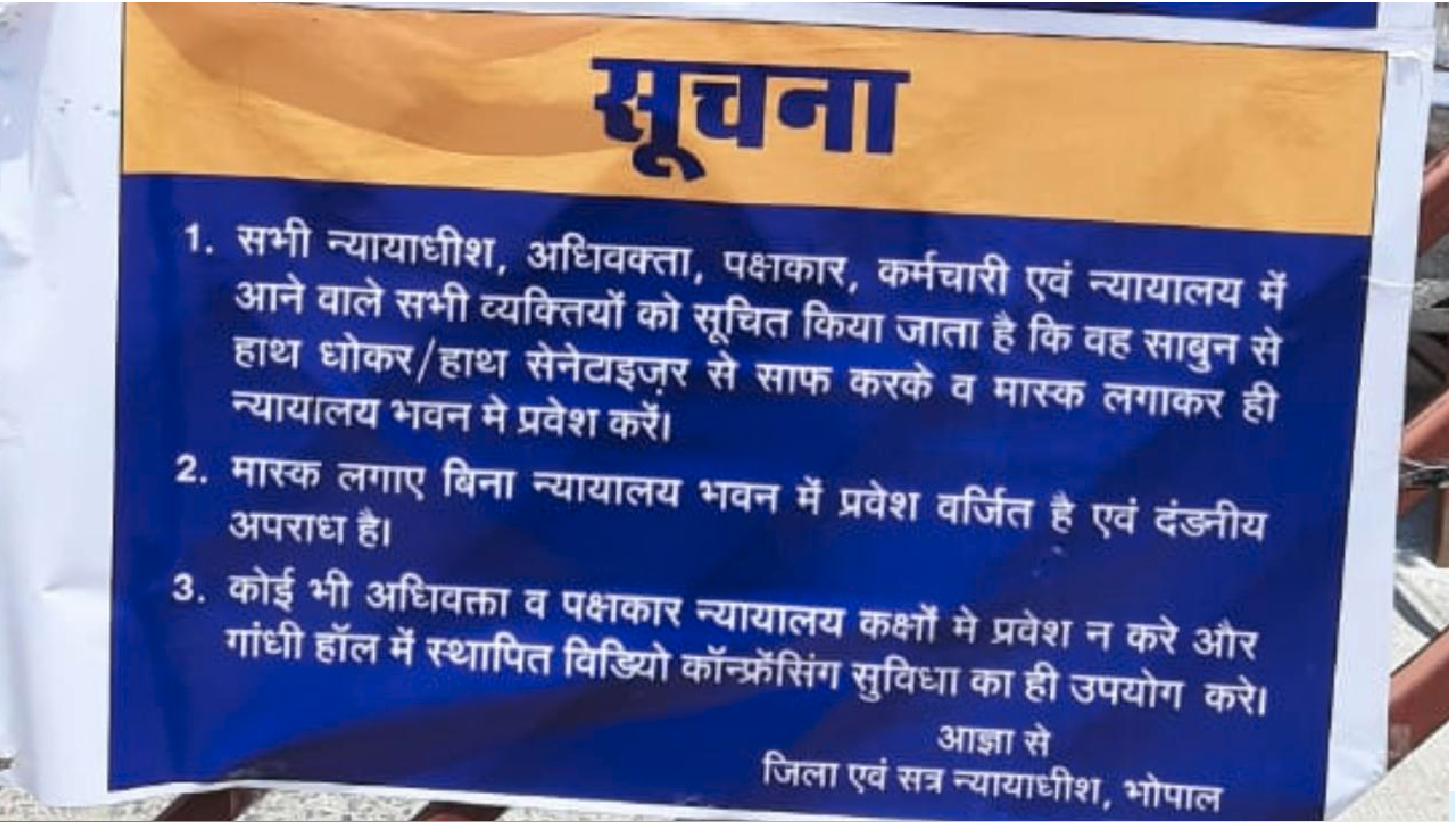

अधिवक्ता जिन्हें आवेदन प्रस्तुत करने की अनुमति दी गई है, वे फाईलिंग कॉउण्टर पर ही आवेदन देते हैं

सोशल डिस्टेंसिंग बनाये रखने हेतु गांधी हॉल में अधिवक्ता/पक्षकारों के खड़े होने के स्थान चिन्हित कर दिये गये हैं।

अधिवक्ता/पक्षकारों द्वारा वीडियो कांफ्रेसिंग से अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु सत्र न्यायालय/अपर सत्र न्यायालय एवं मजिस्ट्रेट न्यायालय हेतु पृथक–पृथक दो पॉईन्ट बनाये गये हैं।

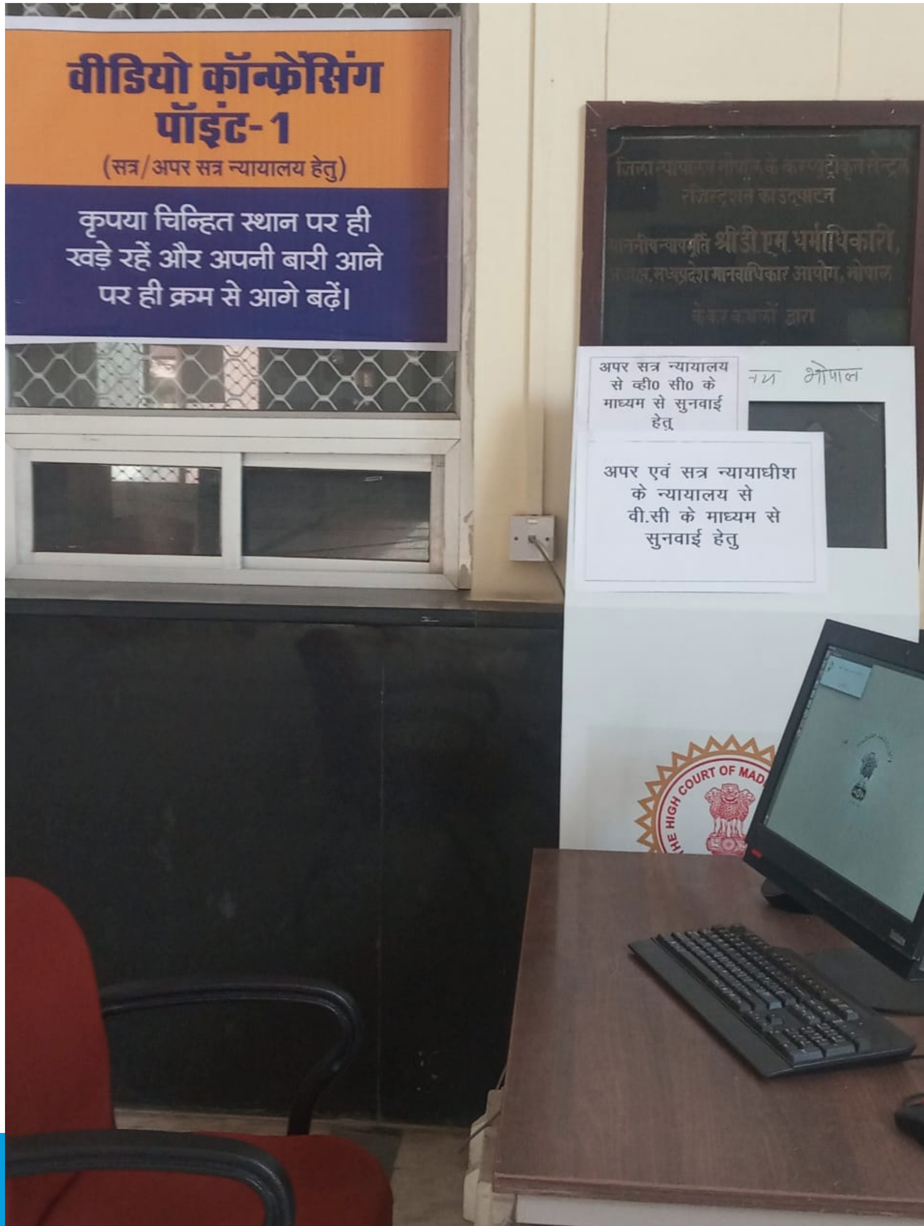

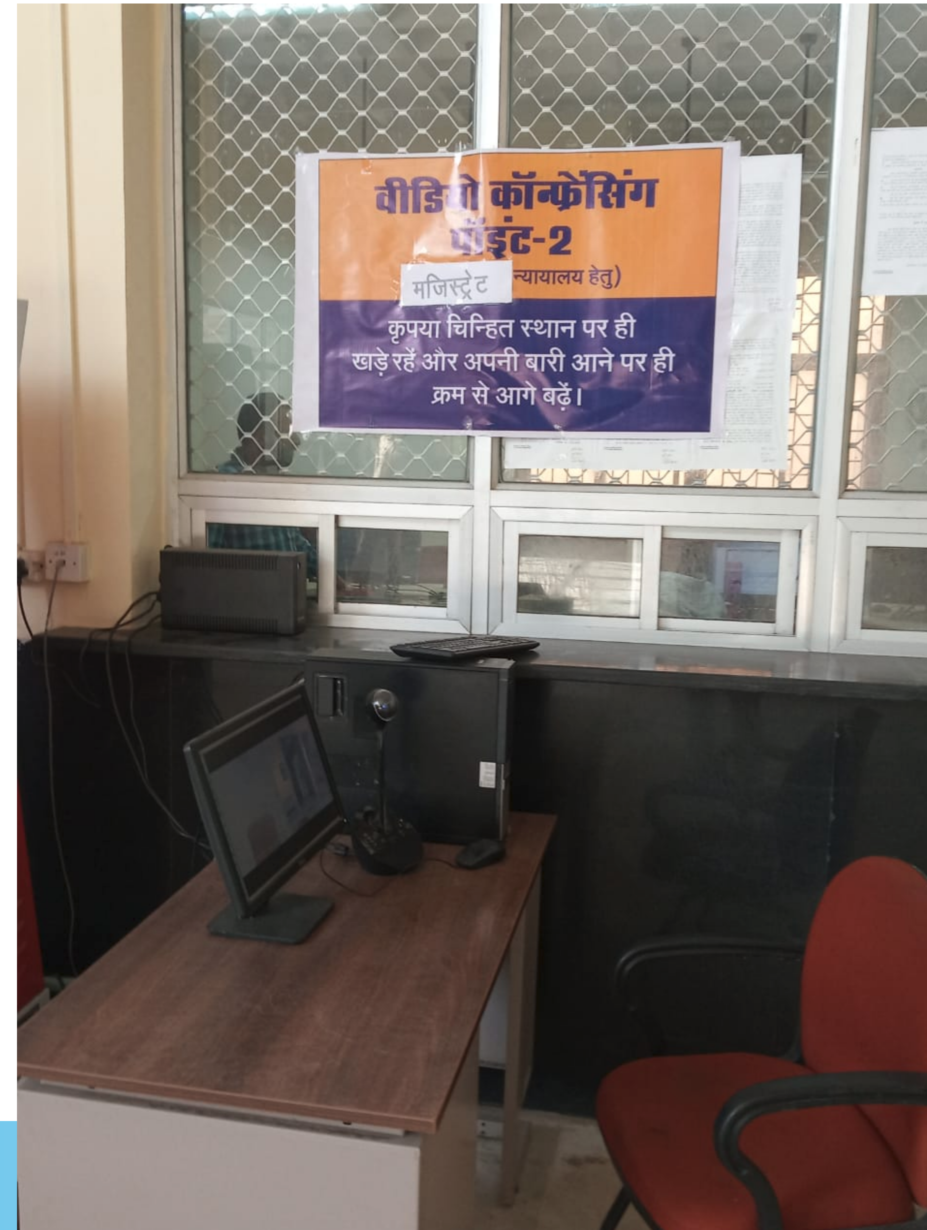

पॉईन्ट क्रं.–1 से सत्र न्यायालय/अपर सत्र न्यायालय के समक्ष अधिवक्ता/पक्षकार अपना पक्ष रखते हैं।

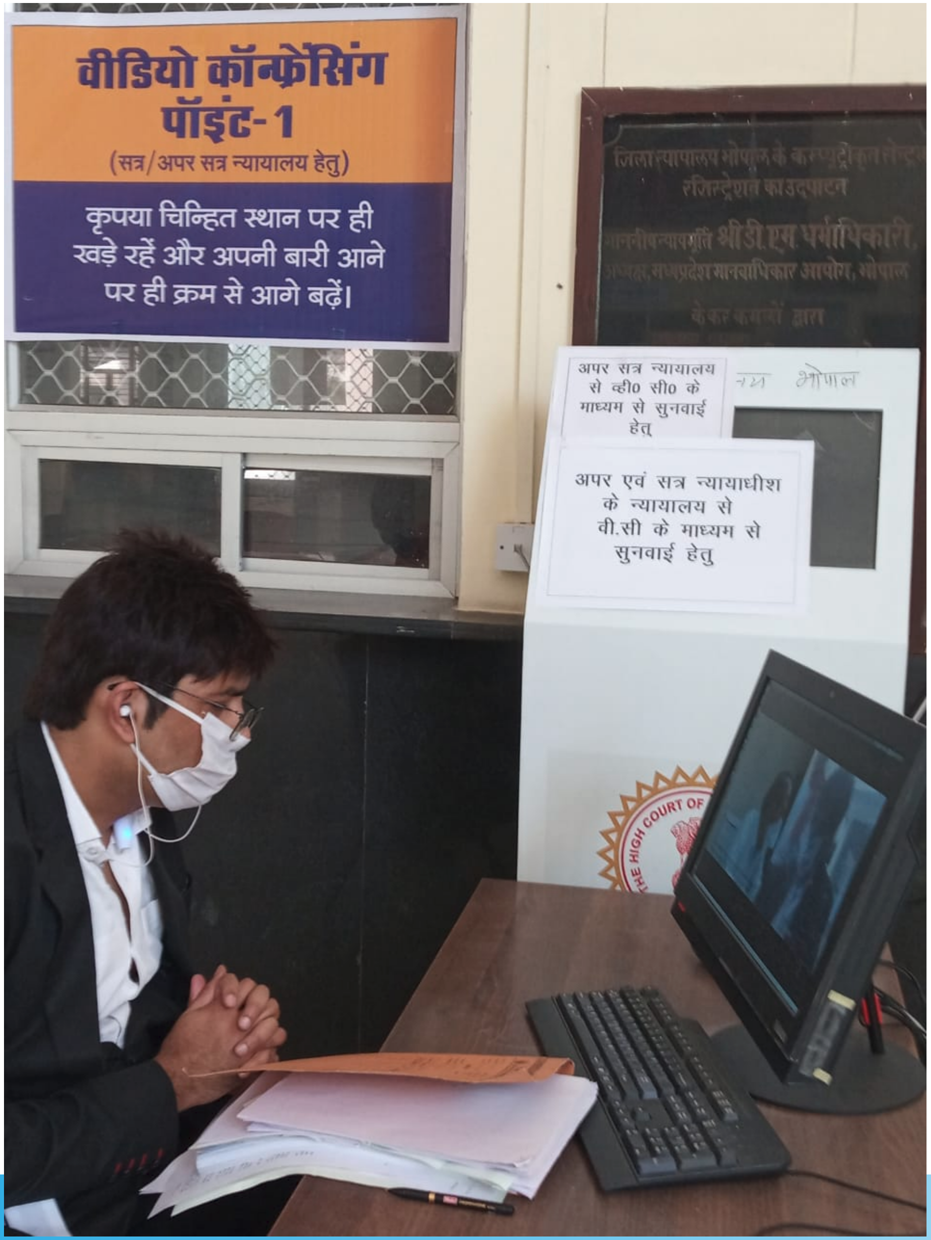

पॉईन्ट क्रं.–2 से मजिस्ट्रेट न्यायालय के समक्ष अधिवक्ता/पक्षकार अपना पक्ष रखते हैं।

अधिवक्ता/पक्षकारों द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाता है।

न्यायाधीश/मजिस्ट्रेट वीडियो कांफ्रेसिंग से ही अधिवक्ताओं/पक्षकारों को सुनते हैं और न्यायालय कक्ष में पक्षकार या अधिवक्ता को प्रवेश नहीं दिया जाता है।

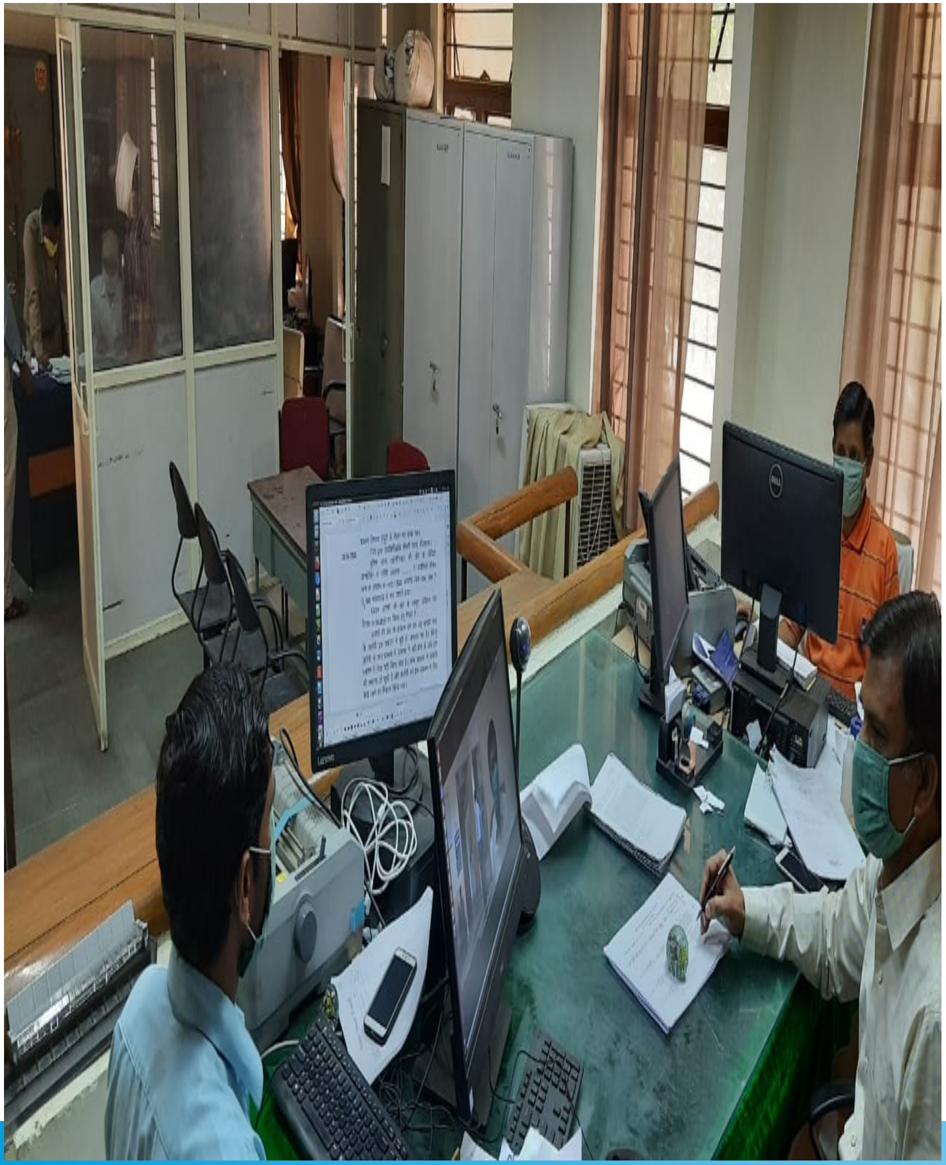

न्यायाधीश द्वारा वी0सी0 से सुनवाई

पारित आदेश संबंधित अधिवक्ता की E-Mail I.D. पर प्रेषित् किया जाता है, साथ ही सी0आई0एस0 पर भी अपलोड किया जाता है ।

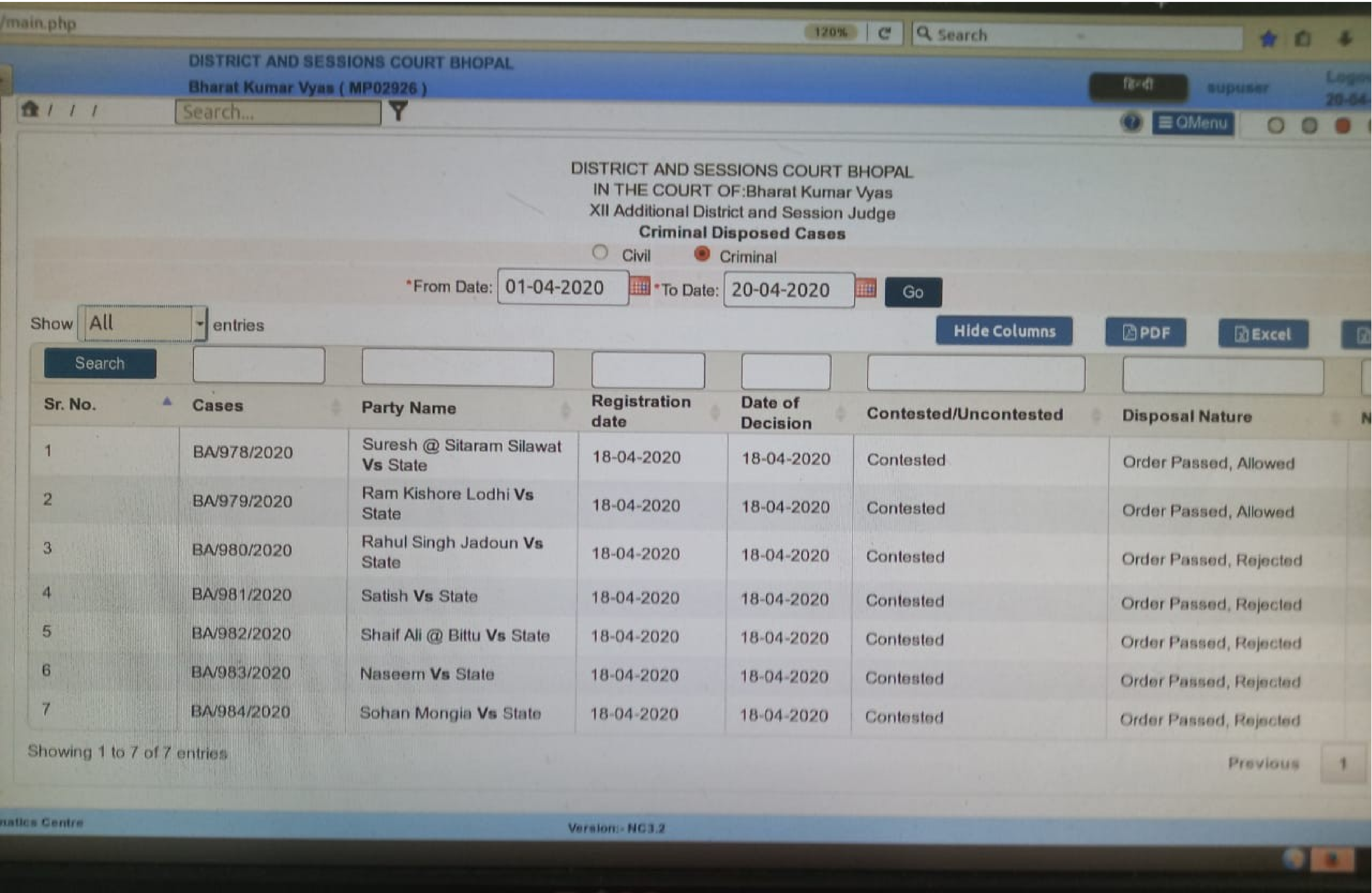

/main.php

DISTRICT AND SESSIONS COURT BHOPAL

Bharat Kumar Vyas (MP02926)

DISTRICT AND SESSIONS COURT BHOPAL
IN THE COURT OF:Bharat Kumar Vyas
XII Additional District and Session Judge
Criminal Disposed Cases

Civil Criminal

*From Date: 01-04-2020 *To Date: 20-04-2020 Go

Show All entries

Hide Columns PDF Excel

Sr. No.	Cases	Party Name	Registration date	Date of Decision	Contested/Uncontested	Disposal Nature
1	BA/978/2020	Suresh @ Sitaram Silawat **Vs** State	18-04-2020	18-04-2020	Contested	Order Passed, Allowed
2	BA/979/2020	Ram Kishore Lodhi **Vs** State	18-04-2020	18-04-2020	Contested	Order Passed, Allowed
3	BA/980/2020	Rahul Singh Jadoun **Vs** State	18-04-2020	18-04-2020	Contested	Order Passed, Rejected
4	BA/981/2020	Satish **Vs** State	18-04-2020	18-04-2020	Contested	Order Passed, Rejected
5	BA/982/2020	Shaif Ali @ Bittu **Vs** State	18-04-2020	18-04-2020	Contested	Order Passed, Rejected
6	BA/983/2020	Naseem **Vs** State	18-04-2020	18-04-2020	Contested	Order Passed, Rejected
7	BA/984/2020	Sohan Mongia **Vs** State	18-04-2020	18-04-2020	Contested	Order Passed, Rejected

Showing 1 to 7 of 7 entries

Previous 1

Version:- NC3.2

अधिवक्ता/पक्षकार अपने निवास/कार्यालय से ही आदेश mphc बेबसाइड https://district.mphc.gov.in/en/से देख सकते हैं और डाउनलोड कर सकते हैं।

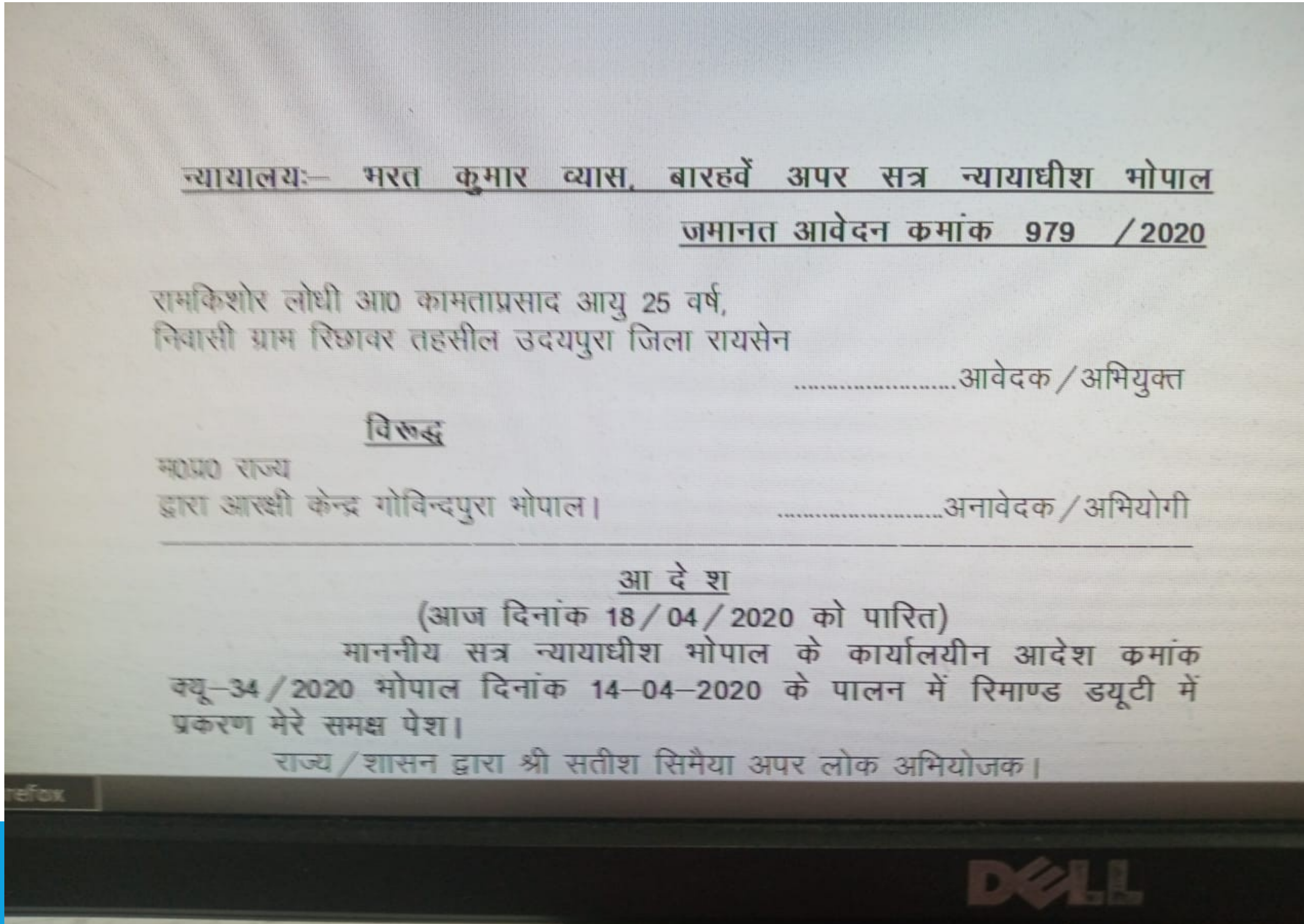

न्यायालयः— भरत कुमार व्यास, बारहवें अपर सत्र न्यायाधीश भोपाल

जमानत आवेदन कमांक 979 /2020

रामकिशोर लोधी आ0 कामताप्रसाद आयु 25 वर्ष,
निवासी ग्राम रिछावर तहसील उदयपुरा जिला रायसेन

.........................आवेदक/अभियुक्त

विरूद्ध

म0प्र0 राज्य
द्वारा आरक्षी केन्द्र गोविन्दपुरा भोपाल। ....अनावेदक/अभियोगी

आ दे श

(आज दिनांक 18/04/2020 को पारित)

माननीय सत्र न्यायाधीश भोपाल के कार्यालयीन आदेश कमांक क्यू–34/2020 भोपाल दिनांक 14–04–2020 के पालन में रिमाण्ड डयूटी में प्रकरण मेरे समक्ष पेश।

राज्य/शासन द्वारा श्री सतीश सिमैया अपर लोक अभियोजक।

Thank You

District & Sessions Court, Bhopal (M.P.)